न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 29/2018
दायर दिनांक : 29/10/2018
आदेश दिनांक : 23.12.2022

:: अनवान ::

1. श्री अभयसिंह पिता श्री खुमाणसिंह राजपूत नि. सालमपुरा तहसील व जिला राजसमंद
2. श्री गोर्वधनसिंह पिता श्री खुमाणसिंह राजपूत नि. सालमपुरा तहसील व जिला राजसमंद

— प्रार्थी

:: बनाम ::

1. सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमंद

— विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 एवार्ड क्रमांक 3014 (अ)/ दिनांक 04.10.2013/22.04.2015

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता — प्रार्थी
2. श्री गिरीश तिवाड़ी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री दिनेश बाफना, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3

प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3 जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधित अधिनियम 1997 के तहत सक्षम अधिकारी, भू अवाप्ति अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रार्थीगण की राजस्व ग्राम जावद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद की आराजी संख्या 989 रकबा 0.0081 हेक्टेयर को अवाप्त किये जाने के संबंध में पारित अवार्ड को इस आधार पर चुनौती दी गई कि उक्त अवार्ड कम जारी किया गया है तथा प्रार्थी को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि एवं तोषण राशि का भुगतान पर भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनः व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी द्वारा मुआवजा राशि एवं अन्य अनुतोष राशि विपक्षी से दिलाने को लेकर चुनौती दी गई है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 02 द्वारा कांकरोली से भीलवाड़ा फोरलेन निर्माण हेतु वर्तमान में भू अवाप्ति अधिनियम के तहत

अधिनियम की धारा 3 की कार्यवाही करते हुए राजस्व ग्राम जावद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद की आराजी संख्या 989 रकबा 0.0081 को सम्मिलित किया गया। प्रस्तावित अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 200/– रू. प्रति वर्गफीट से अधिक है। जबकि भूमि का मुआवजा मात्र 44445/–रूपये तय किया गया है जो कि 552/–रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अदा किया गया है जबकि अवाप्त की गई उक्त 81 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा 200/– रू. प्रति वर्गफीट देय होता है। तत्कालीन समय में प्रार्थी से लगती हुई भूमि का भूखण्ड 1500/–रू. प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय किया था। भूमि पर किये गये निर्माण का मुआवजा 1,00,000/–रू. तय किया गया है लेकिन प्रार्थी को न तो भूमि का मुआवजा दिया गया है न ही दिनांक 28.12.2012 से ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजे की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज एवं Solatium राशि देय होती है जो भी अदा नहीं की गई है। विपक्षी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा मनमकसूद तरीके से तय कर देरी से अदा किया है। प्रार्थी उक्त भूमि का मुआवजा तत्कालीन बाजार दर 200/– प्रति वर्गफीट की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है एवं संरचना के 250000/– रू. प्राप्त करने के अधिकारी है। मौके पर प्रार्थी की कोटड़ी एवं दीवार बनी हुई थी, जिसका मुआवजा अदा नहीं किया जाने से उक्त राशि पर ब्याज व तोषण राशि भी प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त भूमि का बाजार दर से काफी कम मुआवजा तय किया गया है। जबकि इससे लगती हुई भूमि 1500/–रू. प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय की गई है। प्रार्थी का मुआवजा कम दर से तय किया गया है। प्रार्थी ने मुआवजा अदा करने बाबत अपने अधिवक्ता के जरिये एक प्रतिवेदन पेश कर मुआवजा राशि वर्तमान बाजार दर एवं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित कर अदा करने बाबत सूचना पत्र भी प्रेषित किया जो प्रतिवादी को प्राप्त होने के बाद भी इसके मुआवजा का एवार्ड जारी नहीं किया गया न ही राशि की अदायगी की गई है। अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.05.2015 के जरिये यह निर्देशित किया गया है कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। इस प्रकार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईव प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे। तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागु किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी को नये अधिनियम के प्रावधानों की पालना में तय किये गये दिशानिर्देश अनुसार भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 105 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर क्षतिपूर्ति राशि प्रथम अनुसूची के अनुसार तय करने के निर्देश दिये गये हैं लेकिन उक्त प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 लागु होने के उपरान्त भी प्रथम अनुसूची के अवाप्त की गयी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है। उक्त अनुसार प्रार्थी की मुआवजा राशि तय करवायी जावे तथा मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि के साथ शत प्रतिशत तोषण (solatium) राशि भी प्रार्थी प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी की कुल अवाप्तशुदा भूमि 81 वर्गमीटर में प्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण का मुआवजा 1,44,745/– रूपये, जिस पर बाजार दर का डेढ़ गुना राशि तथा इस पर दिनांक 28.12.2012 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हैं। भूमि अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 26,27 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि तय करने के आधार एवं प्रावधान होने तथा दोनों भूमि एक ही गांव एक ही सरवेले में एवं एक ही उपयोग की भूमि होते हुए भी दोनों का मुआवजा अलग अलग दर से तय किया गया तथा मुआवजा पर कोई ब्याज भी निर्धारित नहीं किया गया है जबकि देरी के संबंध में ब्याज नियमानुसार देय होता है। क्योंकि मुआवजा का निर्धारण विपक्षी द्वारा अवाप्ति

की अधिसूचना की बाजार दर अनुसार तय किया गया है। फिर भी ब्याज एवार्ड राशि में नहीं जोड़ा गया है। इस प्रकार नवीन भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 के प्रावधान लागू होने पर उक्त अनुसूची अनुसार प्रार्थी की भूमि का बाजार दर से 3 गुना मुआवजा राशि क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने के प्रावधान है तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि/मुआवजा राशि की शत प्रतिशत तोषण राशि भी करने का प्रावधान है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा उक्त राशि प्रार्थी को विपक्षी से दिलवायी जावे।

विपक्षी संख्या 1 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए उल्लेख किया कि प्रार्थी को नियमानुसार मुआवजा राशि भुगतान किया जा चुका है, प्रार्थी अपने हिसाब से भुगतान चाहता है, जबकि निर्धारित डी.एल.सी. दर से भुगतान का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा क्लेम/दस्तावेज पेश न करने से शेष राशि भुगतान किया जाना अवशेष है। प्रार्थी द्वारा अब तक भुगतान पत्रादि पेश न करने से शेष मुआवजा राशि अदा नहीं की गई है। विपक्षी ने डीएलसी दर के अनुसार कब्जा प्राप्ति के तुरंत पश्चात भुगतान हेतु अवार्ड जारी कर दिया है। प्रार्थी को अब कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं है एवं भूमि अवाप्ति की सारी कार्यवाही विधिवत एवं नियमानुसार की गई है।

विपक्षी संख्या 2 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 घ की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण के भाग द्वितीय खण्ड 3 उपखण्ड (II) में दिनांक 28.12.2012 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3014 दिनांक 04.10.2013 द्वारा राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले के रा.रा.संख्या 758 के 00.000 कि.मी. से 30.000 किमी (भीलवाडा–राजसमंद सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिये ग्राम जावद तहसील राजसमंद के खातेदार श्री गोवर्धन सिंह, श्री शिवसिंह, श्री जालम सिंह, श्री अभय सिंह, श्री निर्भय सिंह, इन्दर कुंवर, रेशम कुंवर, लहर कुंवर, टीपू कुंवर पिता श्री खुमाणसिंह 1/4 श्री हमेर सिंह पिता श्री दौलत सिंह 1/4 श्री हरिसिंह, श्री हमेर सिंह, भानसिंह पिता श्री भूरसिंह 1/2 हि.ब. राजपूत सा. देह खातेदार के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 989 किस्म कुआ रकबा 0.0081 है.भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई है, जो भूमि सभी विल्लगमो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है। सक्षम प्राधिकारीजी ने उक्त अवाप्तशुदा रकबा का 44,745/– बाबत प्रचलित बाजार दर अनुसार दिनांक 22.04.2015 को अवार्ड जारी किया गया था तत्पश्चात (RFCTLARR ACT 2013) में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 22.05.2017 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया है, लेकिन पूर्व में पारित अवार्ड दिनांक 22.04.2015 बाबत जवाबदाता की ओर से दिनांक 05.09.2014 को ही राशि प्रेषित कर दी है, जिससे माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा पारित रिट पीटिशन नंबर 12746/2017 गोपाराम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह व अन्य पीटीशनों में पारित निर्णय अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में संशोधित अवार्ड राशि देय नहीं है। हितबद्ध व्यक्तियों के पक्ष में दिनांक 22.04.2015 को अवार्ड जारी कर दिया है। अवाप्तशुदा भूमि बाबत दिनांक 30.10.2018 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया है, लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SB Civil Writ Petition No. 12746/17 व अन्य पीटिशनों में पारित निर्णय दिनांक 22.01.2018 के अनुसार संशोधित अवार्ड की राशि देय नहीं है। प्रार्थीगण ने जिस अनुतोष की प्रार्थना की है, वह गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण ने अवाप्तशुदा भूमि के शेष हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है। अवाप्तशुदा भूमि बाबत अवार्ड जारी कर दिया है, जिससे प्रस्तुत प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं

हैं, जिससे प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रकरण में अब कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 3 की और से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रेकर्ड एवं मौके की स्थिति संरचना की नियमानुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है एवं उस पर नियमानुसार देय मुआवजे की गणना की जाकर मुआवजा राशि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षीगण द्वारा जारी की जाकर विपक्षीगण द्वारा अदायगी की गयी है। प्रार्थी इसके अतिरिक्त कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने हस्तगत उक्त प्रार्थना पत्र जानकारी होते हुए भी विलंब से प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज योग्य होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं अवार्ड पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी राजस्व ग्राम जावद तहसील राजसमंद जिला राजसमंद की आराजी संख्या 989 में से रकबा 0.0081 हेक्टेयर भूमि किस्म कुंआ एवं RFCTLARR ACT 2013 एवं 22.04.2015 तक का ब्याज आदि का मुआवजा अवार्ड–अधि.सू.क्रमांकः 3014 (अ)दि. 04.10.2013 दिनांक 22.04.2015 से एवं संशोधित अवार्ड दिनांक 25.04.2016 से हितबद्ध खातेदारो को भुगतान के लिये सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। खातेदार श्री अभयसिंह को राशि 7237/–रू. का भुगतान वाऊचर्स अवार्ड पत्रावली की क्रम सं. 38 पर संलग्न है परंतु संशोधित अवार्ड राशि 7836/– का भुगतान श्री अभय सिंह को करने संबंधी भुगतान वाऊचर्स की रसीद अवार्ड पत्रावली में संलग्न नहीं होने श्री अभयसिंह को संशोधित अवार्ड राशि का भुगतान चैक एवं आर.टी.जी.एस. से नहीं होना ज्ञात आया है। ऐसी स्थिति में श्री अभयसिंह का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करना उचित समझते है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए विपक्षी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए तथा साक्ष्य सबुत के साथ प्रेषित किये गये क्लेम दस्तावेज के आधार पर धारा 3 जी (5) दी नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 सपठित द राईट टु फेयर कम्पनसेशन एण्ड ट्रांसपेरेसन्सी इन लेण्ड एक्वीजीशन रिहेबिलीटेशन एण्ड रि सेटलमेंट एक्ट, 2013 (RFCTLARR ACT 2013) व भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवेज द्वारा समय–समय पर जारी संशोधित अधिसूचना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय अनुसार प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(नीलाभ सक्सेना)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द